

प्रकरण संख्या 210/2017 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. हजारीलाल पिता हरलाल गाडरी निवासी कनेरा मृतक के बजाय
1/1 बाबूलाल पिता हजारीलाल गाडरी निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/2 श्रीमति चांदीबाई पत्नी श्री हजारीलाल जी जाति गायरी निवासी कनेरा तहसील
निम्बाहेड़ा।

—वादीगण

// बनाम //

1. रमेश चन्द्र पिता खेमराज जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी विश्रामपुरी कनेरा
2. श्रीमति लीला बाई के बजाय
2/1 श्री देवेन्द्र धनगर पिता श्रीलालजी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी कास्या खान
2/2 आशा गायरी पुत्री श्रीलाल जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी कारया खान
2/3 दीपु गायरी पुत्री श्रीलाल जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी कास्या खान
2/4 रिकु पुत्री श्रीलाल जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी कारया खान
2/5 श्रीलाल पिता घीसालालजी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी कास्या खान तह.
बिजोलिया जिला भीलवाड़ा (नाम विलोपित)।
- 3 श्रीमति सवागी बाई पत्नि खेमराज जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी विश्राम पुरी,
कनेरा तह० निम्बाहेड़ा (नाम विलोपित)।
- 4 श्री राधेश्याम पिता शिवलाल जी जोशी जाति ब्राहमण वयस्क निवासी कल्याण चौक के
पास, आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा राज०।
- 5 श्री रामचन्द्र पिता शिवलाल जी जोशी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी मकान नह 135.
धन्या नगर, गुर्जर की घड़ी न्यू सांगानेरी रोड, जयपुर राजः।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा।
7. श्री गोपाल लाल पिता नानालाल पचोरिया जाति धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
- 8 श्री रामेश्वरलाल पिता नानालाल पचोरिया जाति धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
- 9 श्रीमति कमलाबाई पत्नी कालुराम धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक :-16.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री सुधीर कुमावत अधिवक्ता वादी, नरेन्द्र वैष्णव
अधिवक्ता प्रतिवादी 1 व 3, जगदीशचंद्र मेनारिया अधिवक्ता प्रतिवादी न. 4, अनुपस्थित,
पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम
दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा
स्वीकार किया जाकर वाके मौजा कनेरा के खाता नं. 1014 की आ.नं० 545 रकबा 0.0500
हेक्टे० लगानी 25 पैसे एवं आ०नं० 731 रकबा 0.6100 हेक्टे० लगानी 59 पैसे कुल 2 किता
रकबा 0.6600 हेक्टे० व गांव सेमलिया तह० निम्बाहेड़ा के खाता नं. 114 की आ.नं० 25 रकबा
0.4300 हेक्टे० लगानी 13 रूपये तथा खाता सं. 118 की आ.नं 35 रकबा 0.9200 हेक्टे
लगानी 17 रूपये 48 पैसे आ.नं० 36 रकबा 1.7800 हेक्टे० लगानी 33 रूपये 82 पैसे कुल
किता 2 कुल रकबा 2.7000 हेक्टे० भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 05.08.2024 को
जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर निर्णय किया गया
था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.12.2024 को प्रस्तुत
किया है जो निम्नानुसार है:-

1 श्री बाबुलाल पिता हजारीलाल, श्रीमति चांदीबाई पत्नी हजारीलाल गायरी सा. कनेरा खातेदार।

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
25 में से	0.215	चाही 1	6.56
36 में से	0.900	चाही 3	17.10

कुल किता-2 1.115 हैक्टयेर 23.66

2 श्री राधेश्याम, रामचंद्र पिता शिवलाल ब्राह्मण सा. कनेरा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
35 में से	0.900	चाही 3	17.10

किता-4 0.900 17.10

3 श्रीमति कमलाबाई पत्नी कालुराम धाकड़ सा. कनेरा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
35 में से	0.020	चाही 3	0.38
36 में से	0.880	चाही 3	16.72

किता-5 0.900 17.10

4 श्री प्रकाशचंद्र पिता नानालाल धाकड़ सा. कनेरा खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
25 में से	0.215	चाही 1	6.56

किता-1 0.215 6.56

ग्राम- कनेरा

1 श्री रमेशचंद्र पिता खेमराज हि. 1/2 गायरी सा. कनेरा देवेन्द्र धनगर आशा दीपू रिकू पिता श्रीलाल हि. 1/2 गायरी सा. कास्याखान तह. बिजौलिया रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
545	0.05	बारानी 4	0.25
731	0.61	चाही 3	11.59

किता-2 0.66 हैक्टयेर 11.84

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... बाबत्.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे



सहायक कलेक्टर
 निम्बाहेड़ा

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2024 को जारी की

गई।
मुहर



दस्तखत
ओहदा

सहायक कलेक्टर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	चिप्साडेडा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
.....				
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
.....	0	0	0	0
फीस कमिश्नर.	..		फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुक्मनामा	.		बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

